FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

वाद पत्र सं. .....249...../2025 GCMS NO.....

अन्तर्गत धारा 53,88,188 RTA, 136 LR Act

श्रीराम आदि बनाम इरान सिंह आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/25	आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 RTA, 136 LR Act वादी/वादीगण की ओर से उनके श्री [illegible] एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24/12/25 को पेश हो।	
03/11/25	वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब की गई। वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान में आपसी समझौता हो चुका है। इसलिए इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान करें। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री [illegible] एवं Adv. [illegible] की गई। पुनः वाद वादीगण स्वयं स्तर पर विड्रॉ करने की अनुमति चाही है। अतः वाद वादीगण विड्रॉ खारीज किया जाता है। [illegible] नम्बर से फर्द होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	2 चौहान श्री राम इरान सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:21 IST
Reason: SelfAttested